लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का विवरण ।

उत्तराखण्ड राज्य मे विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के मद्देनज़र विशेषज्ञ चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

- नैफ्रो डायलिसिस यूनिट :–
  - उत्तराखण्ड राज्य में नैफ्रो डायलिसिस यूनिट एक पं0दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून व एक यूनिट बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत स्थापित की गयी, जिसके अन्तर्गत बी0पी0एल0 रोगियों को यह सुविधा निःशुल्क दी जाती है। जिसके अन्तर्गत नवीन कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 20 मार्च 2017 से माह अक्टूबर 2019 तक कुल 1,03,307 लाभार्तियों को डायलिसिस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

1. पं0दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून :–
   - नैफ्रोडायलिसिस यूनिट का अनुबन्ध दिनांक 23 फरवरी 2010 में 05 वर्ष हेतु किया गया तथा स्थापना माह अगस्त 2010 में की गयी। तत्पश्चात पुनः दिनांक 20 फरवरी 2017 को अनुबन्ध संस्था मै0 नैफ्रो केयर प्रा0 लि0, हैदराबाद के साथ 05 वर्ष हेतु किया गया। जिसमें प्रति डायलिसिस शुल्क रू 287.67/– के अनुसार किया जा रहा है।
2. बेस चिकित्सालय हल्द्वानी :–
   - उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 08.03.2011 को 05 वर्ष के लिये अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया, नैफ्रोडायलिसिस यूनिट की स्थापना माह अक्टूबर 2011 में की गयी। तत्पश्चात पुनः दिनांक 20 फरवरी 2017 को अनुबन्ध संस्था मै0 नैफ्रो केयर प्रा0 लि0, हैदराबाद के साथ 05 वर्षो हेतु किया गया। जिसमें प्रति डायलिसिस शुल्क रू 197.67/– के अनुसार किया जा रहा है।

- कार्डियक केयर यूनिट

1. पं0दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून :–
   - कार्डियक केयर यूनिट स्थापित करने हेतु मै0 फोर्टिज हैल्थ केयर प्रा0लि0, नई दिल्ली से दिनांक 08.03. 2011 को 10 वर्षो हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया था, जिसकी स्थापना दिनांक 21 अक्टूबर 2011 में की गयी। इस यूनिट में बी0पी0एल0 रोगियों के लिये निःशुल्क उपचार का प्राविधान किया गया हैं।
   - अनुबन्ध के अनुसार 25 सरकारी शैय्याओं के लिये रू0 99,200 प्रति शय्या प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त इसके अतिरिक्त 25 शैय्या गैर सरकारी है।
2. एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर में :–
   - हृदय रोगियों के लिय हृदय सम्बन्धित चिकित्सा सेवाये उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर मे लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत कार्डियक केयर यूनिट का संचालन किये जाने हेतु मै0 जीवन रेखा, चिकित्सालय के साथ दिनांक 02/08/2018 को पाँच वर्ष हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया।

- पं0 दीन दयाल उपाध्याय देव भूमि 108 आपातकालीन सेवा:–
  - दिनांक 08 मार्च 2008 को उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु संस्था मै0 इमरजेन्सी मैनजमैन्ट रिसर्च ईन्सीटयूट, (ई0एम0आर0आई0–108) हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया। जिसकी अनुबन्ध/सेवा–विस्तार की अवधि दिनांक 30 अप्रैल 2019 को समाप्त होने के उपरान्त नवीन कार्यदायी संस्था कम्यूनिटी एक्शन थ्रु मोटिवेशन प्रोग्राम (कैम्प), भोपाल के द्वारा दिनांक 01 मई

2019 से राज्य में 108 आपातकालीन सेवा का संचालन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत दुर्घटना, प्रसव से पीडित महिला, बीमार बच्चे एवं नवजात शिशुओं तथा अन्य गम्भीर स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं आदि एवं पुलिस व अग्नि शमन सेवायें उपलब्ध करायी जाती है।

- आपात स्थिति में 108 आपातकालीन सेवायें टॉल फ्री न0–108 पर कॉल (24 X 7) करके निशुल्कः प्रदान की जाती है।
- वर्तमान में कुल 139 एम्बुलेन्स तथा 01 बोट एम्बुलेंस राज्य में संचालित की जा रही है।
- नवीन कार्यदायी संस्था द्वारा माह 01 मई 2019 से माह अक्टूबर 2019 तक कुल 56,014 लाभार्तियों को 108 आपातकालीन सेवा का लाभ प्रदान किया जा चुका है।